| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| 10/7/2014 | **सारण समाहरणालय, छपरा।**<br><br>**न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा**<br>**जिला विधि प्रशाखा**<br>**आपूर्त्ति अपील संख्या 120/2012**<br>**अहिल्या देवी बनाम राज्य एवं अन्य**<br>**आदेश**<br><br>संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं0 3797/2012 अहिल्या देवी बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 4.9.2012 से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1221/आपूर्ति दिनांक 27.12.2011 के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी।<br><br>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 1146 दिनांक 26.7.2011 द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न श्री रंजीत कुमार राम, ग्राम-सबलपुर, प्रखंड-सोनपुर द्वारा दिए गए परिवाद पत्र के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 649 दिनांक 27.8.2011 के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर से वर्णित तथ्यों की जाँच कराई गयी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों पर विक्रेता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। विक्रेता के द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मंतव्य की माँग की गयी। उन्होंने अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया था कि मु0 अहिल्या देवी, पति स्व0 जगरनाथ राय के मृत्यु के पश्चात् पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रही है। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण से आवश्यक दिशा-निर्देश की माँग की गयी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 1974 दिनांक 26.12.2011 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि संचिका सं0 15-56/2011 में जिला पदाधिकारी, सारण के द्वारा अंकित आदेश दिनांक 23.12.11 के आलोक में पारिवारिक पेंशन को लाभ का पद माना गया है। जिला आपूर्ति | |

पदाधिकारी, सारण से प्राप्त दिशा-निर्देश एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर के मंतव्य के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर ने प्रश्नगत आदेश पारित कर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गयी थी।

उपस्थित अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए बतलाया था कि अपीलार्थी के पति स्व0 जगन्नाथ राय पूर्व में शिक्षक थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थी पेंशनधारी है।

सरकार का पक्ष रखते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने बतलाया कि इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण से प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सकता है कि पारिवारिक पेंशन लाभ का पद माना जाए या नहीं।

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.10.2013 के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण से विभागीय परिपत्र की माँग की गयी कि पारिवारिक पेंशन को लाभ का पद माना जाए या नहीं।

इस न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 455 दिनांक 30.6.2014 के प्रतिवेदन के साथ संलग्न विभागीय पत्र 428 दिनांक 22.1.2014 का पत्र प्राप्त हुआ। विभागीय पत्र में उल्लेखित है कि पेंशन प्राप्त करने को लाभ का पद नहीं माना जा सकता है, इसलिए अनुज्ञप्तिधारी को जन वितरण प्रणाली की दुकान संचालित करने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अतएव विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 854 दिनांक 01/8/2014

प्रतिलिपि- SDO सोनपुर को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- NIC पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/8/14

प्रभारी उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण